

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – राजीव द्विवेदी, RAS

प्रकरण संख्या : 40/2025

जी.सी.एम.एस नं. : 2024/46

अभियुक्त :-

राजस्थान राज्य जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम
बांसवाड़ा (राज)

श्री पियूष कुमार जैन पुत्र श्री रमेश चन्द्र
(विक्रेता/ मालिक) निवासी 3/183 खान्दु
कोलोनी बांसवाड़ा मैसर्स अरिहन्त ट्रेडर्स मेन
रोड, आंबापुरा बांसवाड़ा।

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 27-01-2026

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री शशिकांत शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 22-07-2025 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 04-12-2024 को बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु 01.00 पी.एम. बजे मैसर्स अरिहन्त ट्रेडर्स मेन रोड, आंबापुरा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री पियूष कुमार जैन पुत्र श्री रमेश चन्द्र उपस्थित थे। मैसर्स अरिहन्त ट्रेडर्स मेन रोड, आंबापुरा का निरीक्षण करने पर दुकान में एक रेक में **Black Salt Powder (Aggarwal) 1-1 किलोग्राम के 10 पैकेट** रखे थे। जिसको एफ.एस.एस.ए के तहत देखने पर मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर **Black Salt Powder (Aggarwal)** जाँच हेतु विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए **Black Salt Powder (Aggarwal) 1-1 किलोग्राम के 4 पैकेट** वास्ते नमूना जाँच हेतु क्रय कर इनकी कीमत 200/- रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमूना जाँच हेतु खरीदशुदा **Black Salt Powder (Aggarwal) 1-1 किलोग्राम के 4 पैकेट** के चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा का कोड क्रमांक **W-2004** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग


न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलेक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)


हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपड़ी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपड़ी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2025/16 दिनांक 15-01-2025 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1506 दिनांक 17-12-2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **Black Salt Powder (Aggarwal)** का नमूना कोड क्रमांक **W-2004** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standards act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **Black Salt Powder (Aggarwal)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 22-07-2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 23.09.2025 को अप्रार्थी/ गैरसायल ने अपनी ओर से पैरवी हेतु श्री चन्द्रेश मेहता अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र पेश किया।

दिनांक 22-07-2026 को अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अप्रार्थी/ गैरसायल की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि अप्रार्थी के विरुद्ध नरमी का रुख अपनाते हुए अधिकतम जुर्माने को कम किया जाकर कम से कम जुर्माना लगाये जाने निवेदन किया

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2025/16 दिनांक 15-01-2025 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1506 दिनांक 17-12-2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **Black Salt Powder (Aggarwal)** का नमूना कोड क्रमांक **W-2004** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standards act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति



न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नहीं होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत Substandard पाया गया **Black Salt Powder (Aggarwal)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 व नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी श्री पियूष कुमार जैन पुत्र श्री रमेश चन्द्र (विक्रेता/ मालिक) निवासी 3/183 खान्दु कोलोनी बांसवाडा मैसर्स अरिहन्त ट्रेडर्स मेन रोड, आंबापुरा बांसवाडा को 5,000/- (अक्षरे रू पाँच हजार मात्र) से दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 27-01-2026 खुले न्यायालय सुनाया गया।




(राजीव द्विवेदी)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति) जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाडा (राज.)